न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:– 62/2023 तारीख रजू :– 18.07.2023

पीठासीन अधिकारी :– पूजा मीना (आर.ए.एस.)

1 दरबार उर्फ दरबसिंह पुत्र रूग्गीराम
2 भगवानसिंह पुत्र रूग्गीराम
3 मनोहरी पुत्र रामहंस
4 भगवानसिंह पुत्र नत्थी

जाति गुर्जर
निवासी बाढमहासिंहपुरा
तह0 टोडाभीम,
जिला करौली राज0

सायलान

बनाम

1 हरज्ञान पुत्र रामहंस
2 भरत पुत्र रामहंस
3 हंसराम पुत्र हरज्ञान
4 हेमसिंह पुत्र भरत
5 बच्चूसिंह पुत्र गयाजीत
6 साहबसिंह पुत्र गयाजीत

जाति गुर्जर
निवासी बाढमहासिंहपुरा
तह0 टोडाभीम
जिला करौली

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट

उपस्थित :– 1 अभिभाषक प्रार्थी :– सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट
2 अभिभाषक अप्रार्थी :– [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:48:31 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक– 18-06-2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है [illegible] आराजी खाता सख्या [illegible] संवत् 2074–77 खसरा नम्बर 438 रकवा 0.10 है0, खसरा नम्बर 440 रकवा 0.10 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.20 है0 ग्राम बाढमहासिंहपुरा प0ह0 उर्दन तह0 टोडाभीम, जिला करौली में स्थित

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

है। उक्त आराजी सायल नं0 1 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। खाता संख्या 52 के खसरा नम्बर 435 रकवा 0.07 है0, खसरा नम्बर 438/1 रकवा 0.02 है0, खसरा नम्बर 442 रकवा 0.10 है0, कुल किता 3 कुल रकवा 0.19 है0 सायल नं0 2 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। खाता संख्या 62 के खसरा नम्बर 436 रकवा 0.05 है0, खसरा नम्बर 439 रकवा 0.10 है0, खसरा नम्बर 441 रकवा 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकवा 0.20 है0 सायल नं0 3 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। खाता संख्या 57 के खसरा नम्बर 444 रकवा 0.57 है0, खसरा नम्बर 442 रकवा 1.00 है0, कुल किता 2 कुल रकवा 1.57 है0 ग्राम बाढमहासिंहपुरा पटवार हल्का उर्दैन तहसील टोडाभीम जिला करौली में स्थित है। उक्त आराजी सायल नं0 4 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। उक्त सभी खसरा नम्बरान पर सायलान अपनी आराजी जिस पर काबिज है तथा काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी पर सालान के अलावा गैरसायलान या अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबंध किसी भी प्रकार का नही है। गैरसायलान लठैत मुठमर्द तथा गिरोह बंध व्यक्ति है। जिन्होने एक गिरोह गठित कर रखा है तथा वे येन केन प्रकारेन सायलान व गरीब व्यक्तियों को हैरान परेशान कर उनकी जमीन जायदाद को छीनकर उन पर कब्जा करने पर उतारू रहते है।

बांका दिनांक 10'.07.2023 को सुबह करीब 10 बजे का है कि सायलान अपनी आराजी में खडी फसल की देखभाल करने गये थे कि गैरसायलान एकराय होकर हाथों में लाठी, डण्डा लैस थे तथा सायलान की आराजी की नाप कर रहे थे सायलान द्वारा पूछने पर सायलान से गाली गलोच करने लगे। सायलान द्वारा मना किया तो कहने लगे कि हम यहां होकर रास्ता निकालेगें इस पर सायलान द्वारा समझाया कि जहा पर तुम्हारी खातेदारी की आराजी है तुम वही से निकलते आये हो वही होकर रास्ता निकालो तथा बनालो इस पर गैरसायलान नाराज होकर बोले कि वहां [illegible] ता है इसलिये हम तो यही होकर निकालेगें इस पर सायलान बोले [illegible] कम है। तुम इसमें होकर रास्ता निकाल लोगें तो हम काश्त कहां करेगें हमारे पास और कोई रोजगार नहीं है हमारे बच्चों की भूखे मरने की नौबत आ जायेगी इतना सुनते ही गैरसायलान नाराज हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:48:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

गये तथा कहने लगे कि तुम राजीबाजी नहीं मानोगें तो भी हम रास्ता तो यही होकर निकाल कर करके रहेगें तथा तुमने कोई कानूनी कार्यवाही की तो तुम्हारी समस्त आराजी पर कब्जा कर गॉव से भगा देगें। इस पर सायलान द्वारा गॉव के गणमान्य व्यक्तियों से गैरसायलान को समझाने व समझवाने का प्रयास किया मगर वो किसी की एक मानने को तैयार नहीं है। इस प्रकार गैरसायलान अपनी इस गैरकानूनी कुचेष्ठा में कामयाब हो गये तथा सायलान की आराजी से सायलान को बेदखल कर सायलान की आराजी में होकर रास्ता निकाल कर पक्का निर्माण कर लिया तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी।

गैरसायलान को ताफैसला दावा इस अम्र से पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी खसरा नम्बर 438 रकवा 0.10 है, 440 रकवा 0.10 है0, 435 रकवा 0.07 है0, 438/1 रकवा 0.02 है0, 442 रकवा 0.10 है0, 436 रकवा 0.05 है0, 439 रकवा 0.10 है0, 441 रकवा 0.05 है0, 444 रकवा 0.57 है0, 445 रकवा 1.00 है0 ग्राम बाढमहासिंहपुरा प0 ह0 उर्देन तहसील टोडाभीम में सायलान के हिस्से व कब्जे में मजाहमत मदाखलत नहीं करे, सायलान को बेदखल कर रास्ते का निर्माण नहीं करे, आराजी को खुर्द बुर्द नहीं करे, आराजी को नाकाबिज काश्त नहीं बनावे, ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे, ना किसी अन्य से करावे, जिससे हकूक सायलान पर विपरीत प्रभाव पडे मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत् बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया है प्रतिवादीगण की ओर से वकील उपस्थित हुये, प्रतिवादी वकील ने जबाव प्रस्तुत किया कि भूमि खसरा नम्बर 465, 451, 450, 448 ग्राम बाढमहासिंहपुरा तहसील टोडाभीम में स्थित है यह भूमि गोरधनी, शिवरामसिंह, हनुमान सहाय, गयाजीत सिंह, हरज्ञान सिंह, भरतसिंह, साहबसिंह, बच्चू सिंह, गोविन्द सिंह, शिवसिंह, साब बाई, कमलेश समस्त जाति गुर्जर निवासी बाढमहासिंहपुरा तहसील टोडाभीम की खातेदारी व क[illegible]सी हाल रेवेन्यू रिकॉर्ड जमावंदी में उनके नाम खातेदारी दर्ज है। भूमि खसरा नम्बर 465 [illegible] खातेदारी की आबादी हो रही है तथा खसरा नम्बर 451, 450, 448 में खेती हो रही [illegible]। खसरा नम्बर 445, 444, 443, 441/1, 441, 439, 438, 435 ग्राम बाढमहासिंहपुरा तहसील टोडाभीम में स्थित है वह भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.05.25 16:48:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

भगवान सिंह, भगवान कौर, भगवान सिंह, दरबसिंह जाति गुर्जर निवासी बाढमहासिंहपुरा की खातेदारी में दर्ज है। भूमि खसरा नम्बर 700/435, 434 किस्म गैरमुमकिन सडक दर्ज है। गोरधनी, शिवरामसिंह, हनुमान सहाय, गयाजीत सिंह, शिवसिंह, साबबाई, कमलेश समस्त जाति गुर्जर निवासी बाढमहासिंहपुरा तहसील टोडाभीम की खातेदारी व कब्जे की भूमि है। खसरा नम्बर 465 में इनकी रिहायशी हो रही है पक्के मकान है पशु बंधते है तथा कृर्षि कार्य के औजार ट्रेक्टर ट्रॉली आदि खडे रहते है तथा खसरा नम्बर 451, 450, 448 में कृषि हो रही है तथा खसरा नम्बर 700/435, 434 जो सडक है महस्वा से नांगल व टोडाभीम है जो बाढमहासिंहपुरा में होकर जाती है। उक्त सभी इसी सडक से होकर खसरा नम्बर 445, 444, 443, 441/1, 441, 439, 438, 435 में होकर करीब 15 फिट चौडाई में रास्ता जो मौके पर बना हुआ है। अपनी खातेदारी की भूमि रिहहाश में आते जाते है तथा ट्रेक्टर, ट्रॉली पशुधन आदि आते जाते है तथा रास्ते के उपयोग उपभोग में बिना किसी रूकावट के पिछले पचासों साल स`ले रहे है। जबाव दावे के साथ प्रस्तुत नक्शा ट्रेस में रास्ता (मार्ग) को लाल लाईन से प्रदर्शित किया गया है जो जबाव प्रार्थना पत्र का ही भग है। उक्त व्यक्तियों का ही एक मात्र रास्ता है तथा यह रास्ता रिहायशी भूमि में आने जाने तथा भूमि की जोत की सुविधा के लिये है तथा निकटतम रास्ता है। अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। यह भूमि खसरा नम्बर 432/664 में बांध है, पूरी भूमि में पानी भरा हुआ है। रास्ता के काम नहीं आ रही है ना ही कभी रास्ता रहा है, ना ही काश्त होती है इसमें करीब 10 फीट गहरा पानी है सुरक्षा दीवार, पाड बनी हुई है जो सैकडों साल पुरानी है। इसकी खसरा नम्बर के उत्तर दिशा में बहुत पुरानी बांध है जो चारागाह भूमि में बना हुआ है तथा यह बांध काफी गहरा है। भूमि खसरा नम्बर 432/664, 453, 454, 455, 456 को पूर्व खातेदारी सुरजो देवी, ध्यानसिंह, अनूप, रकम, जाति गुर्जर निवासी निसूरा से गोरधनी पत्नि हरज्ञान सिंह, प्रेमदेवी पत्नि भरतसिंह गुर्जर निवासी बाढमहासिंहपुरा ने दिनांक 14.08.2006 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की है, जबकि गैरसायलान की भूमि जिसके लिये रास्ता चाहा गया [illegible] जिसमें दिनांक 07.07.1967 से रिहायश कर रहे है। उसके बाद उक्त खसरा नम्बरान खरीद [illegible] है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायलान खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:48:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

मैने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया। अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि सायलान एवं गैरसायलान अपनी–अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर काबिज है। इसी विवादित भूमि के संबंध में न्यायालय हाजा में सायलान व अन्य के खिलाफ आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत उनवानी गोरधनी बनाम भगवान सिंह आदि निर्णित हो चुका है। जिसके तहत मौके पर रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुये चालू भी करवा दिया गया है। जिस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है ना ही सायलान का प्राईमाफेशी केस साबित है ना ही सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति का सिद्धान्त ही सायलान के पक्ष में साबित होता है। समान अनुतोष पर वादपत्र/प्रार्थना पत्रों की बहुलता अनावश्यक विलम्ब को पैदा करती है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायहित में अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18-06-2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:48:31 IST
Reason: SelfAttested